भारत संघ एवं अन्य

बनाम

एस.एस. अहलूवालिया

24 अगस्त, 2007

(न्यायाधीश जी.पी. माथुर और पी. के. बालासुब्रमण्यन)

सेवा कानून:

परिणामी लाभों के साथ बहाली-आदेश की वैधता-निर्धारित:

बहाली का आदेश तब पारित किया जा सकता है जब कर्मचारी को बर्खास्त किया जाता है या अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के बाद सेवा से हटा दिया गया और तथाकथित बर्खास्तगी या निष्कासन अवैध पाया गया है- तथ्य इस प्रकार है कि कर्मचारी ने स्वयं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की थी और वास्तव में उसे सेवामुक्त कर दिया गया था- इसके बाद, वह अब सेवा में नहीं था और उसने कोई काम नहीं किया था-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उसके अनुरोध को स्वीकार करने में भी कोई देरी नहीं हुई- कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लघु सजा के साथ समाप्त हुई- अतः परिणामी लाभों के साथ बहाली का मामला बनना नहीं पाया गया। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955-नियम 43 (डी) (1)।

दंड- अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के अनुसरण में अधिरोपण-निर्धारित: हस्तक्षेप सीमित है-न्यायालय तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब लगाया गया जुर्माना साबित किए गए आरोपों से आश्चर्यजनक रूप से असमान हो-ऐसे मामले में अदालत को मामले को पुनर्विचार के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण को भेजना है, तथ्यों के अनुसार, कर्मचारी के खिलाफ आरोप साबित हुए और एक वर्ष के लिए पेंशन से 10 प्रतिशत कटौती का जुर्माना लगाया गया-जुर्माना लघु होने के कारण हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं-न्यायिक समीक्षा।

सी.आर.पी.एफ. में कार्यरत प्रत्यर्थी जिसने 01.07.1993 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया, जो आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अभ्यावेदन किया जिसे 23.02.1994 को इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया गया कि उसके खिलाफ शुरू की गई अधिक सजा देने की कार्यवाही जारी रहेगी। उत्तरदाता (प्रत्यर्थी) को दिनांक 02.03.1994 को सेवाओं से मुक्त कर दिया गया था। यद्यपि उनके सेवानिवृत्ति लाभ जारी नहीं किए गए थे और दिनांक 12.05.1995 के आदेश द्वारा सूचित किया गया था कि विभागीय जांच पूरी होने पर लाभ जारी किए जाएंगे। जांच की गई और एक आरोप को छोड़कर अन्य समस्त आरोप साबित हुए। संघ लोक सेवा आयोग ने एक

साल के लिए उनकी मूल पेंशन से 10 प्रतिशत कटौती का जुर्माना लगाया। सक्षम प्राधिकारी ने इसे यथावत रखा।

व्यथित प्रत्यर्थी ने सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने के लिए, आदेश दिनांक 12.05.1995 को रद्द करने के लिए, सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने के लिए और यह दिशा निर्देश जारी करने के लिए कि प्रत्यर्थी को दिनांक 01.07.1993 से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति माना जाये, जिस हेतु रिट याचिका दायर की। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी ने संशोधन आवेदन दायर कर उसे सेवानिवृत्ति करने के आदेश को रद्द करने और उसे सभी परिणामी लाभ के साथ सेवा में बहाल करने की मांग की। एक अन्य याचिका जुर्माना लगाने के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई थी। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। एक वर्ष के लिए पेंशन में 10 प्रतिशत कटौती का जुर्माना लगाने वाले आदेश को अपास्त कर दिया गया और प्रत्यर्थी को सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया। उपरोक्त आदेश को खंडपीठ ने यथावत रखा। अतः अपील दायर हुई।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 बहाली का आदेश पारित किया जा सकता है, अगर नियोक्ता द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही में एक कर्मचारी को बर्खास्त

या सेवामुक्त कर दिया जाता है और उक्त बर्खास्तगी या निष्कासन को अदालत द्वारा अवैध पाया जाता है। इस मामले में प्रत्यर्थी ने स्वयं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की थी और उसे दिनांक 02.03.1994 को सेवामुक्त कर दिया गया था। इसके बाद प्रत्यर्थी सेवा में नहीं रहे और उसने कोई काम नहीं किया था। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और खंडपीठ ने भी मामले के इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया। खंडपीठ ने केवल यह टिप्पणी की कि अपील कर्ताओं ने 1993 में प्रत्यर्थी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले का निस्तारण कर दिया होता और यदि उसे उसी वर्ष सेवानिवृत्ति होने की अनुमति दी गई होती तो उसे फिर से रोजगार मिलने की उचित संभावना थी, जो टिप्पणी विधि में पूर्ण रूप से अपोषणीय है। प्रत्यर्थी द्वारा 15.03.1993 को दायर आवेदन में दि. 01.07.1993 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की थी । जिस अनुरोध को अंततः दि. 23.02.1994 को स्वीकार कर लिया गया और उन्हें दि. 02.03.1994 को सेवामुक्त कर दिया गया। इस प्रकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रत्यर्थी की प्रार्थना को स्वीकार करने में ज्यादा देर नहीं हुई। प्रत्यर्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अंततः लघु सजा के साथ समाप्त हो गई थी। इन परिस्थितियों में, सेवा में प्रत्यर्थी की बहाली का निर्देश देने के लिए बिल्कुल कोई आधार नहीं था। { पैरा 6} {381-एफ-एच, 382- ए. बी.}

1.2 अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम स्वरूप जुर्माना लगाने के मामले में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। अदालत सजा में तभी हस्तक्षेप कर सकती है, जब वह लगाया गया जुर्माना साबित किए गए आरोपों से आश्चर्यजनक रूप से असमान हो। ऐसे मामले में अदालत को सजा पर पुनर्विचार के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण को भेजना होता है। विलम्ब से बचने के लिए एक उपयुक्त मामले में न्यायालय स्वयं कम सजा का प्रावधान कर सकता है। इस मामले में प्रत्यर्थी पर लगाया गया जुर्माना बहुत कम था- एक वर्ष के लिए पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती। अतः उच्च न्यायालय के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दंड के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं था। हालांकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जुर्माना लघु प्रकृति का था, एकल न्यायाधीश और खंडपीठ के आदेश के इस भाग में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। बहाली के लिए जारी किए गए निर्देश जिसमें वेतन और पदोन्नति सहित सभी परिणामी लाभों को प्रत्यर्थी को प्रदान किया गया था, अपास्त किए जाते हैं। {पैरा 7 और 8} { 382-सी-एफ}

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 42471/2006

एल.पी.ए. संख्या 409/2002 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 11.01.2006 से।

टी.एस. दोआबिया, सुनीता शर्मा, सुषमा सूरी और मनप्रीत सिंह दोआबिया अपीलार्थियों के लिए।

एस.एस. अहलूवालिया प्रत्यर्थी-व्यक्तिगत रूप से।

न्यायालय-निर्णय पारित द्वारा

न्यायाधीश जी.पी. माथुर

1. यह अपील विशेष अनुमति द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के दिनांक 11.01.2006 के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा दायर एकस्व पत्र अपील को खारिज कर दिया गया था एवं निर्णय तथा आदेश दिनांकित 20.12.2001 द्वारा एकल न्यायाधीश की पुष्टि की गई थी।

2. प्रत्यर्थी एस.एस. अहलूवालिया दिनांक 28.06.1965 को कमीशन अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। वर्ष 1973 में उन्हें सेना से सेवामुक्त कर दिया गया और वह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में शामिल हो गये। प्रत्यर्थी ने 01.07.1993 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करते हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 43 (डी) (1) के तहत एक आवेदन दायर किया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन 12.07.1993 को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने अपने मामले पर पुनर्विचार करने और अपनी स्वैच्छिक

सेवानिवृत्ति की मंजूरी देने के लिए 30.07.1993 और 10.08.1993 को अभ्यावेदन दिया। मामले पर पुनर्विचार करने पर अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थी द्वारा 23.02.1994 को की गई प्रार्थना को इस शर्त के अधीन स्वीकार कर लिया कि उसके खिलाफ दिनांक 04.02.1994 के ज्ञापन द्वारा शुरू की गई अधिक जुर्माना लगाने की कार्यवाही जारी रहेगी। प्रत्यर्थी ने विभिन्न दलीलें उठाते हुए 12.09.1994 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और आरोप पत्र एवं कार्यवाही जो अधिक जुर्माना लगाने से संबंधित थी, को वापस लेने की प्रार्थना की। जांच कार्यवाही में प्रत्यर्थी ने 21.02.1994 को अपने बचाव में लिखित जवाब पेश किया। जांच अधिकारी ने पूरी जांच करने और साक्ष्य दर्ज करने के बाद माना कि आरोप संख्या 1 आंशिक रूप से साबित हुआ था और आरोप संख्या 2, 3 और 4 पूरी तरह से साबित हुए थे। प्रत्यर्थी का मामला संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजा गया था, जिसने अभिलेख पर सामग्री की जांच के बाद सलाह दी थी कि एक वर्ष के लिए उनकी मूल पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। फिर मामला यूपीएससी की सलाह को स्वीकार करने और सजा देने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) को भेजा गया था। तब सक्षम प्राधिकारी ने एक वर्ष की अवधि के लिए उनकी पेंशन से 10 प्रतिशत कटौती की सजा दी।

3. प्रत्यर्थी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को दिनांक 23.02.1994 के आदेश द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद उसे दिनांक 02.03.1994 को कार्यमुक्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी ने अपने सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन दिनांक 12.05.1995 को उसे सूचित किया गया कि जब तक कि विभागीय जांच की कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उनके सेवानिवृत्ति लाभ जारी नहीं किए जा सकते।

4. इसके बाद प्रत्यर्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में तीन रिट याचिकाएं दायर कीं। रिट याचिका संख्या 637/1996 में दिनांक 12.05.1995 के आदेश को रद्द करने और दि. 01.07.1993 से आज की तारीख तक 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ पेंशन, परिवर्तित पेंशन, उपदान जैसे सेवानिवृत्ति लाभों को जारी करने की प्रार्थना की गई थी एवं अपीलार्थियों को यह निर्देश भी जारी किया जाये कि प्रत्यर्थी को नियम 43 (डी) (1) के अनुसार 01.07.1993 से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति माना जाए। 05.09.1998 को प्रत्यर्थी ने रिट याचिका संख्या 637/1996 में संशोधन के लिए एक संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया और इसमें प्रार्थना की गई कि प्रत्यर्थी को सेवानिवृत्ति करने के दिनांक 23.02.1994 के आदेश को रद्द कर दिया जाए और अपीलकर्ताओं को प्रत्यर्थी को सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा बहाल करने का निर्देश दिया जाये। रिट याचिका संख्या

2169/1997 दिनांक 17.03.1997 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई थी, जिसके द्वारा एक वर्ष के लिए 10 प्रतिशत पेंशन की कटौती के लिए जुर्माना लगाया गया था। अपीलकर्ताओं द्वारा जवाबी हलफनामा दायर करके रिट याचिकाओं का विरोध किया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने दिनांक 20.12.2001 के फैसले और आदेश द्वारा, प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया, एक वर्ष के लिए पेंशन में 10 प्रतिशत कटौती का जुर्माना लगाने वाले आदेश को रद्द कर दिया और सभी परिणामी शर्तों के साथ सेवा में वेतन और पदोन्नति लाभ प्रदान करते हुए सेवाएं पुनः बहाल करने का आदेश दिया गया। अपीलकर्ताओं ने एक लेटर्स पेटेंट अपील दायर की, जिसे 11.01.2006 को खंडपीठ ने खारिज कर दिया। जो आदेश वर्तमान अपील में चुनौती का विषय हैं।

5. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता एवं श्रीमान एस.एस. अहलूवालिया प्रत्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से सुना।

6. इस बात का कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी ने 01.07.1993 से प्रभावी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करते हुए नियम 43 (डी) (1) के तहत दि. 15.03.1993 को एक आवेदन दायर किया था। यह आवेदन दिनांक 12.07.1993 को अस्वीकार कर दिया गया। प्रत्यर्थी ने दि. 30.07.1993 और दि. 10.08.1993 को अपने आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ अभ्यावेदन दिया और अंततः 23.02.1994 के आदेश द्वारा

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उनके अनुरोध को इस शर्त के अधीन स्वीकार कर लिया गया कि उनके खिलाफ ज्ञापन दिनांक 04.02.1994 के अंतर्गत अधिक जुर्माना लगाने की कार्यवाही जारी रहेगी। यह भी विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी को दिनांक 02.03.1994 को कार्यमुक्त कर दिया गया था। रिट याचिका संख्या 637/1996 प्रत्यर्थी द्वारा 06.02.1996 को दायर की गई थी, जिसमें अपीलकर्ताओं को निर्देश जारी करने का अनुतोष चाहा गया कि प्रत्यर्थी को नियम 43 डी 1 के अनुसार दि.01.07.1993 से स्वेच्छा से सेवानिवृत माना जाए और दिनांक 12.05.1995 के आदेश को रद्द करने और उसके परिणामस्वरूप उसके सेवानिवृत्ति लाभों को जारी करने के लिए निवेदन किया गया। दि. 05.09.1998 को रिट याचिका में संशोधन के लिए एक संशोधन आवेदन दायर किया गया था और यहां पहली बार प्रत्यर्थी को सेवानिवृत्ति करने के दिनांक 23.02.1994 के आदेश को रद्द करने और सभी परिणामी लाभों के साथ उसे सेवा में बहाल करने के निर्देश के लिए अनुतोष मांगा गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि प्रत्यर्थी का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध दिनांक 23.02.1994 को स्वीकार कर लिया गया था और उसे दिनांक 02.03.1994 को कार्यमुक्त कर दिया गया था। इसके बाद वह सेवा में नहीं था और उसने कोई काम नहीं किया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने केवल यह देखा कि यह अत्यधिक उत्पीड़न का मामला

था और उसके बाद आदेश के परिचालन भाग में वेतन और पदोन्नति सहित सभी परिणामी लाभों के साथ प्रत्यर्थी को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया। बहाली का आदेश तब पारित किया जा सकता है जहां नियोक्ता द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप किसी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त या हटा दिया जाता है और उक्त बर्खास्तगी या निष्कासन अदालत द्वारा अवैध पाया जाता है। यहां ऐसा कोई मामला नहीं था। ऐसा कोई आधार नहीं था जिस पर प्रत्यर्थी के पक्ष में सभी परिणामी लाभों के साथ बहाली का आदेश पारित किया जा सके, जबकि उसने स्वयं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी और प्रत्यर्थी को दि. 02.03.1994 को कार्यमुक्त कर दिया गया था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी मामले के इस पहलू पर कोई विचार नहीं किया। खंडपीठ ने केवल यह कहा कि यदि अपीलकर्ताओं ने 1993 में प्रत्यर्थी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले का निस्तारण कर दिया था और उसी वर्ष सेवानिवृŸा होने की अनुमति दी गई थी, तो उसके पास फिर से रोजगार पाने का उचित मौका था। खंडपीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूर्ण रूप से कानूनन अपोषणीय है। प्रत्यर्थी द्वारा दि. 15.03.1993 को दिए गए आवेदन में उसने दि. 01.07.1993 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की थी। यह निवेदन दि. 23.02.1994 को अंततः स्वीकार कर लिया गया और दि. 02.03.1994 को उसे कार्यमुक्त कर दिया गया। ऐसे में प्रत्यर्थी की

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रार्थना स्वीकार करने में ज्यादा देरी नहीं हुई। अंततः लघु सजा के साथ प्रत्यर्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त हो गई। इन परिस्थितियों में सेवा में निरंतरता और सभी परिणामी प्रावधानों के साथ प्रत्यर्थी को सेवा में बहाल करने का निर्देश देने का कोई आधार नहीं था।

7. विद्वान एकल न्यायाधीश ने उस आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसके द्वारा एक वर्ष के लिए पेंशन में 10 प्रतिशत कटौती का जुर्माना लगाया गया था। आदेश के इस भाग की पुष्टि खंडपीठ ने भी की है। यहां इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि आरोप संख्या 1 आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया था और आरोप संख्या 2, 3 और 4 पूरी तरह से सिद्ध पाये गये थे। अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप जुर्माना लगाने के मामले में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। न्यायालय तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब लगाया गया जुर्माना साबित किये गये आरोपों से आश्चर्यजनक रूप से असमान हो। ऐसे मामले में अदालत को सज़ा पर पुनर्विचार के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण को भेजना होता है। विलम्ब से बचने के लिए एक उपयुक्त मामले में न्यायालय स्वयं कम सजा का प्रावधान कर सकता है। इस मामले में प्रत्यर्थी पर लगाया गया जुर्माना बहुत कम था- एक वर्ष के लिए पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती। अतः उच्च न्यायालय के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दंड के आदेश में

हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं था। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जुर्माना लघु प्रकृति का था, जिसके द्वारा मात्र पेंशन में से एक साल के लिए 10 प्रतिशत की कटौती की गई थी, यह आदेश जो एकल न्यायाधीश एवं खंडपीठ के द्वारा दिया गया था, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है।

8. परिणामस्वरूप अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को वेतन और पदोन्नति सहित सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल करने के लिए जारी किए गए निर्देशों को अपास्त किया जाता है।

9. कोई लागत नहीं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनीष अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।